संख्या– /XXVIII–5–2012–20/2008

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 25 सितम्बर, 2012

विषयः **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग, भवाली एवं बेतालघाट, जनपद नैनीताल के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–129/XXVIII-5-2008–20/2008 दिनांक 24.03.2008 तथा आपके पत्रांक–7प/1/आवासीय भवन/35/2007/5109, दिनांक 18.02.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटाबाग, भवाली एवं बेतालघाट, जनपद नैनीताल के आवासीय भवन निर्माण हेतु मूल स्वीकृत लागत ₹110.85 लाख के सापेक्ष आंकलित पुनरीक्षित आगणन ₹193.66 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹186.47 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार किये जाने वाले कार्यो हेतु ₹1.43 लाख अर्थात कुल ₹187.90 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹110.85 लाख के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹77.05 लाख (रूपये सतहत्तर लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– उक्त धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम लि0, रामनगर को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अवशेष कार्यो को चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा, इस हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। विलम्ब हेतु किसी भी दशा में आगणन पुनः पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंत्रा/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

P.T.O

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219/2006, दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

9– आगणन में अधिप्राप्ति ₹1.43 लाख के कार्यो को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किया जायेगा। उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

10– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा । संस्तुत पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त अवमुक्त होने को दृष्टिगत रखते हुए एम0ओ0यू0 में कार्य को प्रत्येक दशा में पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाने का उल्लेख अवश्य कर दिया जायेगा।

12– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012,दिनांक 19.06.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

13– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–00– आयोजनागत, 01– शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था, 24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–84(पी)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 24 सितम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– सॉफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या–1036 (1)/XXVIII–5–2012–20/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर।
7– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0ओई0सी0।
9– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव